न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित–श्री शिव कुमार सिंह, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक पुनरीक्षण सं0–84/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–92/2026

UPLP010040072026

चन्द्र प्रकाश शुक्ल पुत्र स्व0 सियाराम शुक्ला निवासी ग्राम कपरहा थाना गोला, जनपद लखीमपुर खीरी। ....पुनरीक्षणकर्ता।

प्रति

उ0प्र0 सरकार जरिये जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी।

..........उत्तरार्थी।

''<u>निर्णय</u>''

1– प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से मुकदमा अपराध सं0–196/2026, अन्तर्गत धारा–281, 125ए, 125बी बी0एन0एस0, थाना मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर–खीरी, सरकार बनाम धीरज शुक्ला के मामले में आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत ट्रैक्टर मय ट्राली रिलीज प्रार्थना–पत्र दिनॉकित–21.04.2026, पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी (जिसे एतत्पश्चात् विद्वान मजिस्ट्रेट से सम्बोधित किया जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.05.2026, के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षणकर्ता का ट्रैक्टर पंजीयन सं0–UP 31 BC 1815 के संबंध में तो प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया है परन्तु ट्राली को अवमुक्त किए जाने के संबंध में प्रार्थना–पत्र अपास्त किया है।

2– संक्षेप में इस दाण्डिक पुनरीक्षण के निस्तारण के लिए सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता ने थाना स्थानीय मोहम्मदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0–196/2026 के प्रकरण में निरूद्ध वाहन ट्रैक्टर मय ट्राली पंजीयन सं0–UP 31 BC 1815 को अवमुक्त किये जाने हेतु रिलीज प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके उक्त वाहन रिलीज किये जाने की याचना की गयी थी।

3– उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने संबंधित थाने से आख्या

आहूत की। थाना से प्राप्त आख्यानुसार उक्त वाहन थाना मोहम्मदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—196/2026, अन्तर्गत धारा—281, 125ए, 125बी बी0एन0एस0 के प्रकरण में स्थानीय थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा है।

4— विद्वान मजिस्ट्रेट ने पक्षों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाहन अवमुक्ति प्रार्थना पत्र ट्रैक्टर सं0—UP 31 BC 1815 के संबंध में तो स्वीकार किया है, परन्तु ट्राली अवमुक्त किये जाने के संबंध में प्रार्थना—पत्र अपास्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता ने यह दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत की है।

5— पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण मुख्य रूप से इन आधारों पर प्रस्तुत की गयी है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में ट्राली को अचल सम्पत्ति बताकर उस पर भारतीय सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा—54 के तहत स्वामित्व को उपधारण विक्रेता सियाराम शुक्ला के हक में मानकर महान भूल की है। ट्राली चल सम्पत्ति है, अचल सम्पत्ति नहीं है, ट्राली का स्थानान्तरण साधारण डिलीवरी व विक्रय सम्भव है। ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट धारा—54 केवल अचल सम्पत्ति पर लागू है, जिस कारण उक्त संदर्भ का आधार गलत है। ट्राली मोटर वाहन के तहत अटैचमेंट है, उसका पृथक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और उसी ट्रैक्टर के साथ ही रिलीज होना चाहिए न कि उसे प्रथम पंजीकरण का दस्तावेज मानकर स्वामित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए था। सुपुर्दगी में स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं किया जाता है, विक्रेता के द्वारा दी गयी लिखित रसीद पर्याप्त आधार है। यदि न्यायालय चाहता तो विक्रेता का शपथपत्र मांग सकता था या उसको समक्ष बुलाकर संतुष्टि कर सकता था। विचारण न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता की ट्रैक्टर ट्राली को एक साथ रिलीज न होने से उसका कृषि कार्य प्रभावित है तथा अपरिमार्जनीय क्षति कारित हो रही है। उक्त आधारों पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पुनरीक्षण स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये पुनरीक्षणकर्ता की ट्राली रिलीज करने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

6— पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व उत्तरार्थी उ0प्र0राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का

परिशीलन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि थाना स्थानीय मोहम्मदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0—196/2026 अन्तर्गत धारा—381, 125ए, 125बी बी0एन0एस0 के प्रकरण में निगरानीकर्ता का ट्रैक्टर पंजीयन सं0—यू0पी0 31 बी0सी0 1815 मय ट्राली सीज किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनॉकित—06.05.2026, के माध्यम से निगरानीकर्ता का उक्त ट्रैक्टर पंजीयन सं0—यू0पी0 31 बी0सी0 1815 को मु0—2,50,000/—रू0 का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर अवमुक्त किये जाने का तो आदेश पारित किया है, परन्तु ट्राली के संबंध में स्वामित्व की उपधारणा निगरानीकर्ता के संबंध में न करते हुये निगरानीकर्ता का प्रार्थना—पत्र अपास्त किया है। निगरानीकर्ता की ओर से ट्राली को क्रय किये जाने के संबंध में विक्रय पत्र की छायाप्रति कागज सं0—5ख दाखिल की गयी है, जिसके अनुसार दिनॉक—21.12.2024, को प्रश्नगत ट्राली निगरानीकर्ता द्वारा राजेश शुक्ला से तयशुदा धनराशि देकर क्रय की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामले से संबंधित ट्राली के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त Special Leave Petition (Civil) No. 2135 of 2023 The Royal Sundaram Alliance Insurance Company Limited Vs. Smt. Honnamma & ors. के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि We feel that the law has been correctly appreciated by a learned single Judge of this Court in Gunti Devaiah V. Vaka Peddi Reddy (Supra) and the reasons given by him are sufficient to hold that under the Motor Vehicles Act no separate insurance is contemplated for a trailer and when the trailer is attached to the tractor which is insured, it becomes the part of the tractor. अतः निगरानीकर्ता निर्विवादित रूप से प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर व ट्राली का स्वामी है। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त निर्णय में ट्राली को ट्रैक्टर का ही अंग माना गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को चाहिए था कि वह निगरानीकर्ता का रिलीज प्रार्थना—पत्र ट्राली के संबंध में भी स्वीकार करके अवमुक्त कर देते, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा न करके महान भूल व विधिक त्रुटि कारित की है।

8— अतः दाण्डिक निगरानी में बल पाया जाता है। तद्नुसार दाण्डिक

निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

''आदेश''

दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राली अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पारित आक्षेपित आदेश दिनॉकित–06.05.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत ट्राली को निगरानीकर्ता से उचित धनराशि का बंध–पत्र, प्रतिभू व अपनी संतुष्टि की अण्डरटेकिंग लेकर, उपरोक्त ट्राली को निगरानीकर्ता के पक्ष में अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांक–15.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(शिव कुमार सिंह)
दिनांक–15.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.21 10:30:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court